रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 1973/अग्रहायण 30, 1895

No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 1973/AGRAHAYANA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st December 1973

SUBJECT.—*Import of 'DATES' [S. No.21(b)/IV] from Iraq during* 1973-74 *Licensing period on annual basis.*

No. 222/ITC(PN)/73.—Attention is invited to Paragraph 5 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 204-ITC(PN)/73, dated the 29th November, 1973, in terms of which Cooperative Societies of pre-independence freedom fighters were required to produce a certificate from the Home Department of the State concerned, that all the members of the Society are *bona fide* freedom fighters of pre-independence era.

2. On a review of the position, it has been decided that the Presidents of the Cooperative Societies of pre-independence freedom fighters should submit affidavits to the effect that all the members of the society are *bona fide* freedom fighters of pre-independence era, in lieu of the aforesaid prescribed certificate from the Home Department of the State concerned.

3. Ministry of Commerce Public Notice No. 204-ITC(PN)/73, dated 29th November, 1973, may be deemed to have been amended accordingly.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1972

विषय.—1973-74 लाइसेंस अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर ईराक से खजूरों (क्रम सं० 21 (बी)/14) का आयात।

सं०-222 आई० टी० सी० (पी० एन०) 73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 204-आई टी० सी० (पी एन)/73, दिनांक 29-11-1973 की कंडिका 5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों की सहकारी समिति के लिये इस संबंध में सम्बद्ध राज्य के गृह विभाग से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था कि समिति के सभी सदस्य, स्वतंत्रता से पूर्व के काल के वास्तविक स्वतंत्रता सैनानी है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि सम्बद्ध राज्य के गृह विभाग से उपर्युक्त निर्धारित प्रमाण पत्र के बजाय स्वतन्त्रता से पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों की सहकारी समितियों के अध्यक्षों को चाहिये कि वे इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि समिति के सभी सदस्य स्वतंत्रता से पूर्व के काल के वास्तविक स्वतंत्रता सैनानी हैं।

3. तदनुसार वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 204-आई० टी० सी० (पीएन) 73, दिनांक 29-11-73 को संशोधित किया गया समझा जाए।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973